मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 11055 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 21 / 11 / 11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला –समस्त (म.प्र.)

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत रोजगार मूलक कार्यो हेतु वित्त वर्ष 2011–12 में अतिरिक्त किश्त के प्रस्ताव विषयक।

संदर्भः– परिषद पत्र क्र. 9622 / **NREGS-MP/NR-4/2011** दिनांक 03.10.11

––00––

विषयांतर्गत संदर्भ में आप अवगत हैं कि परिषद से आपको राशि जारी करने के पूर्व एप्राइजल कमेटी के समक्ष आपके प्रस्ताव पर आपसे चर्चा की जाती है एवं आपके औचित्य दर्शाने पर ही विचारोपरांत राशि जारी की जाती है।

विभिन्न एप्राइजल कमेटी की कार्यवाही विवरणिकाएं (Proceedings) जारी की जाकर संबंधित जिले को भेजी जाती हैं। इस संदर्भ में इन विवरणिकाओं में जिले द्वारा अपेक्षित कार्यों का पालन प्रतिवेदन सूचित किया जाएं। संबंधित जिले को राशि जारी करते समय इस पालन प्रतिवेदन पर कार्यवाही देखी जाएगी, साथ ही संबंधित जिले को स्वयं भी पूर्व पालन प्रतिवेदन की स्थिति एप्राइजल कमेटी के समक्ष रखनी होगी।

21/11/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ.क्रमांक/ 11056 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 21/ 11 / 11

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त पंचायत की ओर भेजकर अनुरोध है कि उनसे संबंधित विषयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करने का कष्ट करें।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं मनरेगा परिषद भोपाल के मुख्य अभियंता, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), संयुक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), संचालक जन शिकायत निवारण, सिस्टम एनालिस्ट की ओर भेजकर लेख है कि एप्राइजल कमेटी में परिषद की विभिन्न शाखाओं में आदेशित की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए तथा जिलों के पालन प्रतिवेदन पर भी संबंधित शाखाएं उन से संबंधित विषय पर सूक्ष्म नियंत्रण एवं पालन प्रतिवेदन की स्थिति प्रस्तुत करेंगी।

21/11/11

आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल